Gcms 2020/00064 08/02/2021

(नियम 13)

पेशी अदालत तहसीलदार/नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी — बनाम — श्री अमराराम

हलका मूका बगताणियों — पुत्र श्री खीमाराम जाति सांसी

निवासी-मूका बगताणियों

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं. 61 वर्ष 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुक्म और तारीख तामिल की
23-12-2020	पटवारी हलका मूका बगताणियों ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत 2077 में मौजा मूका बगताणियों के खसरा नंबर 27/3 रकवा 8009 फीट किस्म भूमि ओरण पर नाजायज अतिकमण कर काश्त व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावें। पत्रावली दिनांक 11-01-2021 को बमुकाम सिणधरी में पेश हों। तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर	
11-01-2021	पत्रावली पेश हुई। गैरसायल उपस्थित। पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य हेतु जोधपुर पधारे है पत्रावली दिनांक 18-01-2021 को पेश हो। 11-01-2021	अमराराम
18/01/2021	पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। गैर सायल ने जवाब हेतु समय चाहा जो दिया जाकर पत्रावली दिनांक 27/01/2021 को पेश हो। तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर	अमराराम

Scanned by CamScanner

27-01-2021 पत्रावली पेश हुई। गैरसायल की तरफ से अधि वकील ने उपस्थित होकर जवाब हेतु समय चाहा जो दिया जाकर पत्रावली दिनांक 10-02-2021 को पेश हो।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

10-2-2021 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी आज ड्यूटी पर सिवाना पधारे है। पत्रावली दिनांक 17-2-2021 को पेश हो।
10-2-2021

17-2-2021 पत्रावली पेश हुई। गैरसायल अनुपस्थित। गैर सायल को जवाब हेतु अन्तिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 22-2-2021 को पेश हो।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

22-2-2021 पत्रावली पेश हुई। गैरसायल अनुपस्थित। गैर सायल को जवाब हेतु बार-बार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी कोई विधि सम्मत साक्ष्य प्रस्तुत नही किये, गैरसायल को अतिक्रमी मानते हुए पत्रावली फैसल सुमार है। निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर है।

तहसीलदार सिणधरी,
जिला-बाड़मेर

Scanned by CamScanner